	16.7.92 से पहले	16.7.92 से
एल॰पी॰जी॰ बल्क (ई एस एस)	5469.46	11180.71
एल॰पी॰जी॰ बल्क (नॉन ई एस एस)	7050.71	12761.96
एल॰पी॰जी॰ बल्क (छूट प्राप्त)	4491.41	5488.51
बिटुमन (बल्क)	3540.42	4537.52
बिटुमन (पैकड)	4262.38	5259.48
माचिस	12376.14	13373.24
पैराफिन वैक्स (आई॰एस॰टी॰गुणवत्ता)	15951.71	16948.81
पैराफिन वैक्स (पी॰आई॰ग्रेड)	16088.08	17085.18
आर॰पी॰सी॰	3198.25	5335.49
सी॰पी॰सी॰	5912.75	8077.05

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों में संशोधित ऊर्ध्वगामी वृद्धि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अनिवार्य हो गई थी जो कि मुद्रास्फीति उत्प्रेरित करता है। लेकिन, शासक दल के घोषणा पत्र के अनुरूप घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई क्योंकि इसका समाज के कमजोर और सुविधावंचित वर्गों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मांग को सीमित करके राजकोषीय घाटे में कमी से मुद्रास्फीति के नियंत्रित हो जाने की संभावना है।

(घ) पिछले छः महीने के दौरान आम व्यक्ति की आय में परिवर्तनों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश और गुजरात में विदेशी सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

3235. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटू भाई पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में विदेशी सहायता से शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या कुछ समय पहले ही विदेशी सहायता के लिए कोई परियोजना मंजूर की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) राज्यों में विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का विस्तृत विवरण सदन के पुस्तकालय में रखी गई विदेशी सहायता विवरणिका में उपलब्ध है जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यों में विदेशी सहायता से लागू की जा रही परियोजनाओं के विषय में अतिरिक्त विवरण भी संलग्न है (नीचे देखिए) 30.9.1992 को विदेशी सहायता की कुल अनाहरित राशि निम्नानुसार थी:—

(करोड़ रुपए)

गुजरात	1639.22
मध्य प्रदेश	242.52

(घ) और (ङ) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जो मध्य प्रदेश सहित दो राज्यों को कवर करती है, के लिए मई 1992 में 1940 लाख अमरीकी डालर की आई॰डी॰ए॰ सहायता के लिए विश्व बैंक से बातचीत की गई है। आशा है कि यह परियोजना छः साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर सकेगी।

विवरण
मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजाएं

परियोजनाओं का नाम	सहायता की राशि	संचित अदायगी (मिलियन अमरीकी डालर में)	अंतिम तिथि
1	2	3	4
गुजरात			
गुजरात मध्यम सिंचाई-II	203.88	146.261	31.12.92 (एक वर्ष के लिए मांगी गयी समय अवधि)
गुजरात शहरी विकास	64.86	35.07	31.12.92
गुजरात ग्रामीण सड़कें	137.92	47.90	31.12.94
मध्य प्रदेश			
कोरबा तापीय बिजली परियोजना	427.614	171.437	31.12.93
इन्दिरा सरोवर	52.125	8.126	30.6.93
बहुराज्यीय			
1. सरदार सरोवर बांध और बिजली परियोजना (गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	336.150	133.298	30.6.95
2. राष्ट्रीय जल ग्रिड परियोजना (आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात)	127.70	41.355	31.3.94
3. बांध सुरक्षा परियोजना (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा)	151.370	9.269	30.9.97
4. सीमेंट उद्योग (आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र)	200.00	118.658	30.6.93
5. पेट्रोलियम परिवहन परियोजना (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब)	340.00	35.00	30.6.93
6. दूसरी पेट्रोरसायन परियोजना (महाराष्ट्र और गुजरात)	233.00	73.372	30.9.96
7. तीसरी रेल आधुनिकीकरण परियोजना (पं० बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा)	390.00	181.75	31.12.93
8. सीमेंट उद्योग पुनःसंरचना परियोजना (असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र)	300.00	33.915	30.6.96
9. रेल विद्युतीकरण परियोजना (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार)	279.200	259.354	31.3.93
10. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना I (गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और प० बंगाल)	163.00	82.007	31.12.93
11. दुधिचुआ कोयला परियोजना (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)	109.000	92.496	31.3.93
12. कोयला खनन और गुणवत्ता सुधार (मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल)	340.00	222.736	30.9.94
13. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश)	155.950	8.022	30.6.98
14. दूसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और प० बंगाल)	306.00	11.00	30.9.98
15. आई पी पी-VII-2133-आई एन (बहुराज्यीय गुजरात सहित)	86.58	11.55	30.6.98
16. तकनीकी शिक्षा-I (बहुराज्यीय गुजरात और महाराष्ट्र)	218.22	34.12	30.6.98
17. बाल उत्तरजीविता और वृद्ध मातृत्व परियोजना (सारे देश में)	219.72	29.40	30.9.95
18. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (सारे देश में)	84.00	—	30.9.97

1	2	3	4
19. एन ए ई पी-I (बहुराज्यीय-मध्य प्रदेश)	44.52	39.50	31.3.93
20. एन ए ई पी-II (गुजरात)	36.58	42.45	31.3.93
21. वर्षा पोषित जलविभाजक (म०प्र०)	33.05	15.74	31.12.92
22. आई डब्लू डी (मैदान) (गुजरात)	58.17	3.36	31.3.98
23. एन ए आर पी-II (सारे देश में)	78.93	43.49	30.6.93
24. दूसरी राष्ट्रीय डेयरी परियोजना (सारे देश में)	200.00	126.4	31.12.94
25. राष्ट्रीय बीज परियोजना (गुजरात और मध्य प्रदेश)	150.00	48.1	31.12.94
26. राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी (गुजरात)	155.4 (एसडीआर)	194.21	31.3.93

द्विपक्षीय

परियोजना	राशि	संचयी संवितरण (मिलियन अमेरिकी डालर)	समापन तिथि
गुजरात			
1. गुजरात जल आपूर्ति	(4)85.2	55.5	31.12.91
2. महिलाओं का प्रशिक्षण	6.0	0.0	31.12.92
मध्य प्रदेश			
1. मध्य प्रदेश लघु सिंचाई	41.0	34.8	30.6.92
2. रेवा अस्पताल	10.0	0.0	30.6.92
3. इंदौर आवास	14.4	5.1	31.3.93
4. मध्य प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति	45.0	0.0	31.12.92

Violation of RBI Guidelines by Peerless

3236. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether the Peerless General Finance & Investment Company Ltd., has violated any of the RBI guidelines; and

(b) if so, what steps have been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) have reported that they had last carreid out inspection of the Pecrless General Finance and Investment Company Ltd. with reference to its position as on 31st March, 1990. This inspection revealed that the company had violated certain provisions of the RBI directions.

The deficiencies/violation observed during the course of the above inspection were brought to the notice of the company. The company was advised to take steps to rectify them. In its compliance report, the company has informed RBI that it has decided to take corrective measures.

Action taken under Fera against Chairman and Managing Director of Peerless

3237. SHRI AJIT P.K. JOGI:
SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri P.C. Sen, the Chairman and Managing